राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

"डी" ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

क्रमांक प.12/साबीनि/विके./2011–12 2260 दिनांक: 17-10-12

परिपत्र –2

विषयः– **विद्युतकर्मियों** की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित कार्यो का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण करने के संबंध में।

राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.4(72)वित्त/राजस्व/94 पार्ट दिनांक 26.9.2012 के द्वारा पांच विद्युत कम्पनियों के विद्युतकर्मियों की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित कार्यो का विकेन्द्रीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः इस योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं इसके बाद जारी होने वाली पॉलिसीज के दावों का निस्तारण निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए जिला कार्यालय स्तर पर ही किया जायेगा। वर्ष 2011–12 तक जारी पॉलिसीज के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों का निस्तारण साधारण बीमा योजना कार्यालय, वित्त भवन, जयपुर द्वारा ही पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

विद्युत कम्पनियों की पॉलिसी जिलों में प्रारम्भ होने की तिथि उनकी यूनिट के द्वारा प्रीमियम जमा कराये जाने की तिथि अथवा निम्न तिथि **जो भी बाद में हो**, होगी ।

क्र.सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	पॉलिसी जारी/नवीनीकरण की दिनांक
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0	22.10.2012
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0	24.10.2012
3.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0	23.10.2012
4.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0	24.10.2012
5.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0	01.11.2012

1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (विद्युत कर्मियों) के दावा निस्तारण एवं पॉलिसी जारी करने से सम्बन्धित समस्त कार्य जिला कार्यालय स्तर पर निस्तारित किया जायेगा।

2. विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में दावे प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक द्वारा की जाकर नियमानुसार भुगतान हेतु संयुक्त निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

3. साधारण बीमा योजना में दावा निस्तारण के संबंध में दिये गये वित्तीय अधिकारों में संशोधन निम्न प्रकार से किया गया है :–

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान में दावा निस्तारण के अधिकार (रूपये)	दावा निस्तारण हेतु संशोधित देय अधिकार (रूपये)
1	सहायक निदेशक	5 हजार	2.50 लाख
2	उप निदेशक	5 हजार	2.50 लाख
3	संयुक्त निदेशक	—	5.00 लाख
4	अतिरिक्त निदेशक	1.00 लाख	10.00 लाख

4. विद्युतकर्मियो के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के दावों के भुगतान हेतु **बजट मद विद्युतकर्मियों की जीपीए पॉलिसियों हेतु –**

   8011–बीमा तथा पेंशन निधि
   105–राज्य सरकार की बीमा निधि
   (02)–साधारण बीमा योजना
   (01)– चल सम्पत्ति/प्राप्तियां एवं वितरण

   से अधिकार पत्र जिला कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा एवं कोषालय से बिल पारित कराया जाकर संबंधित को भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। उक्त बजट हैड में ही प्रीमियम के चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट चालान बनाकर जमा कराये जाएंगे ।

5. योजना हेतु सम्बन्धित यूनिट के सहायक अभियन्ता / लेखाधिकारी के द्वारा पॉलिसी प्रारम्भ होने की उक्त तिथि तक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के जिला कार्यालय में विद्युत कर्मियों की सूची (सॉफ्ट कॉपी एवं दो प्रति हार्ड कॉपी) सहित चैक/ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला कार्यालय के **संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ... (जिले का नाम) के पदनाम से** तैयार कराकर बीमा विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा । वितरण कम्पनियों के कार्मिकों के लिए रू0 500/– + सेवा कर एवं प्रसारण तथा उत्पादन कम्पनी के कार्मिकों के लिए रू0 250/– + सेवा कर प्रीमियम के रूप में प्राप्त किया जाएगा ।
6. विद्युत कर्मियों की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण किये जाने के लिए यह मानदण्ड अपनाया गया है कि विद्युत कम्पनी की यूनिट का मुख्यालय जिस जिले में स्थित है, उस जिले में राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग का जिला कार्यालय विद्युत यूनिट के सभी कार्मिकों के उक्त योजना सम्बन्धी समस्त कार्यो का संचालन करेगा । तद्नुसार विद्युत कर्मियों की समूह दुर्घटना बीमा योजना के लिए विद्युत कम्पनियों की यूनिट एवं उनके लिए निर्धारित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है ।

   प्रत्येक जिला कार्यालय में विद्युत कम्पनियों की जिन यूनिटो का कार्य निष्पादित किया जाएगा, उनका सम्भागवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है ।

7. वित्तीय एवं लेखा प्रकिया के अनुसार बैलेंसशीट के संधारण आदि के लिए जिला कार्यालयों द्वारा रिकॉर्ड रखा जावे एवं संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रानुसार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के दावों के अन्वेषण कार्य हेतु जिला कार्यालयों द्वारा अन्वेषणकर्ताओं का एक पैनल तैयार किया जावे, जिसमें जहां तक सम्भव हो, दावों से संबंधित जिला/नजदीकी जिला के अन्वेषणकर्ता को अन्वेषण कार्य दिया जावे, जिससे कम से कम लागत में अन्वेषण कार्य किया जा सकें। अन्वेषणकर्ताओं को देय शुल्क विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित है। देय शुल्क संबंधित बजट मद में से आहरित कर भुगतान किया जायेगा।
9. अस्वीकृत दावों के रिव्यू एवं अपील के लिए आयुक्त/निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर अधिकृत है।
10. स्टेशनरी एवं मुद्रित सामग्री आदि के लिए अतिरिक्त बजट के लिए जिला कार्यालय अपना मांग पत्र कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा योजना), जयपुर को भिजवाये।

विद्युत कर्मियों की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु विस्तृत निर्देश पुस्तिका पृथक से जारी की जा रही है। गत वर्ष विद्युत कम्पनियों को जारी की गयी पॉलिसी की प्रति सुविधा हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

निदेशक 17/10/12
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.12/साबीनि/विके./2011–12 2260-2712 दिनांक: 17-10-12

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय बीमा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिला कलक्टर / पुलिस अधीक्षक,
6. निदेशक, वित्त/मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम/उत्पादन निगम/जयपुर/जोधपुर/अजमेर वितरण निगम
7. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,.................... जयपुर
9. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग मुख्यालय, जयपुर को बिन्दु 8 के बजट आवंटन हेतु ।
10. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ....
11. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
13. उप निदेशक (संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर को साइट पर अप–लोड करने हेतु ।
15. उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग , ...
16. समस्त सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी, सर्किल ...., विद्युत कम्पनी..................
17. रक्षित पत्रावली

17/10/12
अतिरिक्त निदेशक,
साधारण बीमा निधि
जयपुर

परिशिष्ट–1

विद्युत कम्पनियों की यूनिट्स् के लिये एसआईपीएफ की यूनिट्स्

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रम संख्या	लेखाधिकारी सर्किल का नाम	एसआईपीएफ यूनिट
1	अलवर	अलवर
2	भरतपुर	भरतपुर
3	दोसा	दोसा
4	जेसीसी जयपुर	जयपुर शहर
5	जेपीडीसी जयपुर	जयपुर ग्रामीण
6	केश जयपुर	जयपुर सचिवालय
7	जयपुर जोन जयपुर	जयपुर शहर
8	एमएम जयपुर	जयपुर शहर
9	आर एण्ड टीडबल्यू जयपुर	जयपुर शहर
10	झालावाड	झालावाड
11	कोटा	कोटा
12	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
13	बून्दी	बून्दी
14	बारां	बारां
15	करोली	करोली
16	धोलपुर	धोलपुर
17	टोंक	टोंक

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रम संख्या	लेखाधिकारी सर्किल का नाम	एसआईपीएफ यूनिट
1	एसीसी अजमेर	अजमेर
2	एडीसी अजमेर	अजमेर
3	केश अजमेर	अजमेर
4	भीलवाडा	भीलवाडा
5	नागोर	नागोर
6	झुन्झुनु	झुन्झुनु
7	सीकर	सीकर
8	उदयपुर	उदयपुर
9	चित्तोडगढ	चित्तोडगढ
10	राजसमन्द	राजसमन्द
11	बांसवाडा	बांसवाडा
12	ओ एण्ड एम,प्रतापगढ	प्रतापगढ
13	डुंगरपुर	डुंगरपुर

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रम संख्या	लेखाधिकारी सर्किल का नाम	एसआईपीएफ यूनिट
1	सीसी जोधपुर	जोधपुर शहर
2	डीसी जोधपुर	जोधपुर ग्रामीण
3	केश जोधपुर	जोधपुर शहर
4	आईए जोधपुर	जोधपुर शहर
5	बाडमेर	बाडमेर
6	जेसलमेर	जेसलमेर
7	जालोर	जालोर

8	पाली	पाली
9	सिरोही	सिरोही
10	चुरू	चुरू
11	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
12	हनुमानगढ	हनुमानगढ
13	बीकानेर	बीकानेर
14	आईए बीकानेर	बीकानेर

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

क्रम संख्या	लेखाधिकारी सर्किल का नाम	एसआईपीएफ यूनिट
1	केटीपीएस, कोटा	कोटा
2	मांगरोल, कोटा	कोटा
3	माही, बांसवाडा	बांसवाडा
4	आरजीटीपीपी, रामगढ	जेसलमेर
5	एसटीपीसी, ओ एण्ड एम, सूरतगढ	श्रीगंगानगर
6	एसटीपीसी, कोन्स्ट सूरतगढ	श्रीगंगानगर
7	थर्मल डिजाइन, जयपुर	जयपुर सचिवालय
8	एच एण्ड जीपी, जयपुर	जयपुर सचिवालय
9	केश जयपुर	जयपुर सचिवालय
10	डीसीसीपीपी, धोलपुर	धोलपुर
11	गिरल--।। बाडमेर	बाडमेर
12	सीटीपीपी, छबडा	बारां
13	कालीसिन्ध, झालावाड	झालावाड

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

क्रम संख्या	लेखाधिकारी सर्किल का नाम	एसआईपीएफ यूनिट
1	टीसीसी–1 जयपुर (जयपुर, टोंक)	जयपुर शहर
2	टीसीसी–2 जयपुर (जयपुर, दोसा, करोली, सीकर पीएलसीसी)	जयपुर शहर
3	टीसीसी–3 अजमेर (अजमेर, भीलवाडा, सीकर, झुन्झुनु, नागोर)	अजमेर
4	टीसीसी–4 जोधपुर (जोधपुर, बाडमेर, जेसलमेर)	जोधपुर
5	टीसीसी–5 कोटा (कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड, बून्दी)	कोटा
6	टीसीसी–6 अलवर (अलवर, भरतपुर, धोलपुर)	अलवर
7	टीसीसी–7 उदयपुर (उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, चित्तोडगढ, राजसमन्द)	उदयपुर
8	टीसीसी–8 सिरोही (सिरोही, जालोर, पाली)	सिरोही
9	टीसीसी–9 बीकानेर (बीकानेर, हनुमानगढ, गंगानगर, चुरू)	बीकानेर
10	आरपीएस एण्ड जेसी कोटा	कोटा
11	केश जयपुर	जयपुर सचिवालय
12	एमएम जयपुर	जयपुर शहर
13	एस एण्ड आई जयपुर	जयपुर सचिवालय
14	एसएलडीसी जयपुर	जयपुर सचिवालय

परिशिष्ट–2

विद्युत कम्पनियों की यूनिट्स् के लिये एसआईपीएफ यूनिट्स् का संभागवार विवरण

अजमेर संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	अजमेर (4)	एसीसी अजमेर एडीसी अजमेर केश अजमेर	–	टीसीसी–3 अजमेर
2	ब्यावर (0)	–	–	–
3	भीलवाडा (1)	एओ (ओ एण्ड एम) भीलवाडा	–	–
4	नागोर (1)	एओ (ओ एण्ड एम) नागोर	–	–
5	टोंक (1)	एओ टोंक	–	–

भरतपुर संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	भरतपुर (1)	एओ भरतपुर	–	–
2	सवाई माधोपुर (1)	एओ सवाई माधोपुर	–	–
3	करोली (1)	एओ करोली	–	–
4	धोलपुर (2)	एओ धोलपुर	डीसीसीपीपी, धोलपुर	–

बीकानेर संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	बीकानेर (3)	एओ (ओ एण्ड एम) बीकानेर एएओ (आईए) बीकानेर	–	टीसीसी–9, बीकानेर
2	चुरु (1)	एओ (ओ एण्ड एम) चुरु	–	–
3	श्रीगंगानगर (3)	एओ (ओ एण्ड एम) श्रीगंगानगर	एसटीपीसी–ओ एण्ड एम, सुरतगढ, बीकानेर एसटीपीसी–कॉन्स्ट, सुरतगढ	–
4	हनुमानगढ (1)	एओ (ओ एण्ड एम) हनुमानगढ	–	–

जयपुर संभाग प्रथम

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	जयपुर शहर (7)	जेसीसी जयपुर जयपुर जोन, जयपुर एमएम जयपुर आर एण्ड टीडबल्यू जयपुर		टीसीसी–1, जयपुर टीसीसी–2, जयपुर एमएम जयपुर
2	जयपुर ग्रामीण (1)	जेपीडीसी जयपुर	–	–
3	जयपुर सचिवालय (7)	केश जयपुर	थर्मल डिजाइन, जयपुर एच एण्ड जीपी, जयपुर केश जयपुर	केश जयपुर एस एण्ड आई जयपुर एसएलडीसी जयपुर
4	नई दिल्ली (0)	–	–	–

जयपुर संभाग द्वितीय

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	अलवर (2)	एओ अलवर	—	टीसीसी–6, अलवर
2	सीकर (1)	एओ सीकर	—	—
3	झुन्झुनु (1)	एओ झुन्झुनु	—	—
4	दोसा (1)	एओ दोसा	—	—

जोधपुर संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	जोधपुर शहर (4)	एओ(सीसी), जोधपुर एएओ केश जोधपुर एएओ (आईए) जोधपुर	—	टीसीसी–4, जोधपुर
2	जोधपुर ग्रामीण (1)	एओ (डीसी) जोधपुर	—	—
3	पाली (1)	एओ (ओ एण्ड एम) पाली.	—	—
4	बाड़मेर (2)	एओ (ओ एण्ड एम) बाड़मेर	गिरल–2, बाड़मेर	—
5	जेसलमेर (2)	एओ (ओ एण्ड एम) जेसलमेर	आरजीटीपीपी, रामगढ	—
6	सिरोही (2)	एओ (ओ एण्ड एम) सिरोही	—	टीसीसी–8, सिरोही
7	जालोर (1)	एओ (ओ एण्ड एम) जालोर	—	—

कोटा संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	कोटा (5)	एओ कोटा	केटीपीएस, कोटा मांगरोल, कोटा	टीसीसी–5, कोटा आरपीएस एण्ड जेएस कोटा
2	बून्दी (1)	एओ बून्दी	–	–
3	बारां (2)	एओ बारां	सीटीपीपी, छबडा	–
4	झालावाड (2)	एओ झालावाड	कालीसिन्ध, झालावाड	–

उदयपुर संभाग

क्रम संख्या	एसआईपीएफ यूनिट	वितरण निगम यूनिट	उत्पादन निगम यूनिट	प्रसारण निगम यूनिट
1	उदयपुर (2)	एओ (ओ एण्ड एम) उदयपुर	–	टीसीसी–7, उदयपुर
2	बांसवाडा (2)	एओ (ओ एण्ड एम) बांसवाडा	माही, बांसवाडा	–
3	डुंगरपुर (1)	एओ (ओ एण्ड एम) डुंगरपुर	–	–
4	चित्तोडगढ (1)	एओ (ओ एण्ड एम) चित्तोडगढ	–	–
5	प्रतापगढ (1)	एओ (ओ एण्ड एम) प्रतापगढ	–	–
6	राजसमन्द (1)	एओ (ओ एण्ड एम) राजसमन्द	–	–